REET POLITY

लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता

आचार संहिता

मतदाता ↓ vote देने वाला

REET POLITY

लोकतांत्रिक सरकार :-

अब्राहम लिंकन

लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन संचालित करते हैं। इस प्रकार सरकार जनता के प्रति जवाबदेह और जन- भागीदारी पर आधारित होती है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अधिकार प्राप्त होते हैं।

REET POLITY

- लोकतांत्रिक सरकार की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं-

(1) प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र
(2) समानता और न्याय
(3) जागरूकता और जवाबदेही
(4) लोककल्याण
(5) विवादों का शांतिपूर्ण समाधान
(6) शासन में जनसहभागिता
(7) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार → 18 year से ↑

REEET POLITY

➢ किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में लोकतांत्रिक चुनावों की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं-

मत | vote

i. सभी को मताधिकार हो और सभी के मत का समान मोल हो।

ii. चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और मतदाताओं के लिए विकल्प उपलब्ध हो।

iii. चुनाव नियमित अंतराल पर हो

iv. लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का हो

v. चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हो

REEET POLITY

भारत की चुनाव प्रणाली की विशेषताएँ:

- ❖ सार्वभौम वयस्क मताधिकार 18 वर्ष और उसके ऊपर के सभी को मताधिकार ।
- ❖ कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व - अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।
- ❖ खुली राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता - सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आजादी।

REET POLITY

- एक मत, एक मोल- हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता।
- लोकतंत्र में शक्ति जनता में निहित होती है। आदर्श रूप में तो इस शक्ति का प्रयोग स्वयं जनता को ही करना चाहिए जैसा कि प्राचीन भारत में 'सभा' व 'समिति' द्वारा किया जाता था। लोकतंत्र के इस रूप को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है।
- लेकिन बर्तमान में राष्ट्रों के आकार बहुत बड़े हैं। इसलिए वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना सम्भव नहीं है।

REEET POLITY

- लेकिन बर्तमान में राष्ट्रों के आकार बहुत बड़े हैं। इसलिए वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना सम्भव नहीं है।
- वर्तमान में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सम्भव न होने के कारण जनता वयस्क मताधिकार के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि शासन का कार्य करते हैं। ऐसे लोकतंत्र के प्रकार को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहा जाता है।

प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं।

REET POLITY

राजनीतिक दल :-

- राजनीतिक दल समान दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के संगठित समूह होते है, जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते है।
- भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों का उदय भाषा, जाति, संस्कृति तथा क्षेत्रीय हितों के आधार पर हुआ है।
- इनका अंतिम उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है।
- विश्व में सबसे अधिक राजनीतिक दल भारत में ही है।

REET POLITY

- राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग निर्धारित मापदण्डों के आधार पर चुनाव हेतु राजनीतिक दलों का पंजीयन करता है। Election commission of India
- दलो को चुनावों में प्राप्त मतों के आधार पर ही राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है।
- आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दलों को निम्न सुविधाएं दी जाती है- चुनाव चिह्न आवंटन।
- रेडियों व टेलीविजन पर राजनीतिक प्रसारण का समय।
- निर्वाचन सूचियां प्राप्त करने की सुविधा।
- निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न चुनाव अधिकारी द्वारा आवंटित होते हैं।

REET POLITY

- वर्तमान में देश में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है-

राष्ट्रीय दल	चुनाव चिह्न
इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC)	हाथ
भारतीय जनता पार्टी (BJP)	कमल का फूल
बहुजन समाज पार्टी (BSP)	हाथी
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (CPI-M)	हथौड़ा, हँसिया और सितारा
नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)	किताब (Book)
आम आदमी पार्टी (AAP)	झाड़ू

REET POLITY

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन :-

- संविधान के अनुच्छेद 82 के अधीन परिसीमन अधिनियम, 2002 के अनुसार भारत सरकार को परिसीमन आयोग के गठन के अधिकार दिए गए हैं।
- परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- परिसीमन आयोग राज्यों में विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है जो कि राज्य की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है।

REET POLITY

- वर्तमान में 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाता है। 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना तक यही परिसीमन व्यवस्था रहेगी।

नोट- निर्वाचन क्षेत्र- एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

106 CA. 2024

REEET POLITY

मताधिकार व निर्वाचन हेतु शर्तें:-

- प्रारंभ में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी जिसे 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करते हुए 18 वर्ष कर दी गई।
- लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
- यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दो या दो से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई हो तो यह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है।

REET POLITY

निर्वाचन आयोग:-

- निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के भाग-15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है। संरचना राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं।

संरचना = 1+2

REEET POLITY

- 1989 तक निर्वाचन आयोग एक-सदस्यीय था। 1989 के आम चुनावों के ठीक पहले, दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर इसे बहु-सदस्यीय बना दिया गया। चुनावों के बाद इसे फिर से एक-सदस्यीय बना दिया गया। 1993 में पुनः दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहु- सदस्यीय हो गया, तब से यह व्यवस्था यथावत् है। नियुक्ति- निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद् के परामर्श से की जाती है। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता।

REET POLITY

कार्यकाल –

➢ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो पहले खत्म हो) होता है।

62 year → 68

→ 6 साल

→ 65 वर्ष